SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

Part 1 and 2 of Indian Constitution

Lecture :- 3

For Notes Join Telegram :

Click on the icon.

OR
Scan

For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel

Click on the icon.

OR
Scan

दक्षिण अफ्रीका का संविधान :

1. राज्यसभा के सदस्यो का निर्वाचन
2. संविधान मे संशोधन की प्रक्रिया

Union & Territory

Part 1 (भाग 1) : संघ और उसके राज्यक्षेत्र संविधान के भाग - 1 से संबधित है भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते है।
[अनुच्छेद 1 - 4]

अनुच्छेद - 1(1) : इंडिया अर्थात भारत
" राज्यो का एक संघ होगा "

भारत राज्यो के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नही है।

भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य को कोई अधिकार नही है।

(USA मे राज्य अलग हो सकते है)
(भारत मे राज्य टूट सकते है लेकिन संघ नही)

अनुच्छेद 2 : " नये राज्यो का प्रवेश "
संसद निर्बधानो और शर्तो के साथ जिन्हे वह उचित समझे संघ मे किसी नये राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है।

अनुच्छेद 3 : नये राज्यो का निर्माण व पुराने राज्यो के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन।

(a) संसद विधि द्वारा, दो या दो से अधिक राज्यो के भागो को मिलाकर, किसी भी राज्य मे से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके / परिवर्तन कर सकती है।

PARMAR SSC

(b) किसी भी राज्य का क्षेत्र बढा सकती है।

(C) किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है।

(d) किसी भी राज्य की सीमा या नाम परिवर्तित कर सकती है।

यह संसद, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कर सकती है कोई राज्य नही कर सकता।

अनुच्छेद 4 :

अनुसूची 1, 4 मे परिवर्तन

संसद

अनुच्छेद 2 — संघ मे किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना करती है

अनुच्छेद 3 — किसी भी राज्य के क्षेत्र, नाम, या सीमा मे परिवर्तन करती है।

तो ऐसा संसद केवल साधारण बहुमत से कर सकती है इसके लिए संविधान संशोधन (अनु० 368) की आवश्यकता नही होती।

2/3 सदस्य (उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य)

Note : संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने व भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की नही है।

बेरुबारी यूनियन केस 1959 मे, भारतीय संघ को किसी अन्य देश को क्षेत्र देने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा।

→ 100th संविधान संशोधन 2014 मे भारत - बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण।

552 देशी रियासते → 549

3 {
- हैदराबाद → पुलिस कार्यवाही से, ऑपरेशन पोलो, 1948
- जूनागढ → जनमत संग्रह से
- कश्मीर → विलय पत्र [महाराजा हरि सिंह]

1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यो का चार गुना वर्गीकरण था - भाग A, भाग B, भाग C, भाग D

↓

अण्डमान & निकोबार

भाषा के आधार पर राज्यो का पुनर्गठन :

1. SK धर आयोग 1948 → भाषा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन का समर्थन किया।

2. JVP समिति 1948 → भाषा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन की माँग खारिज कर दी।

1953, पोटी श्री रामुल्लू → 56 दिनो के आमरण अनशन के बाद मृत्यु।

पहला भाषिय (भाषा के आधार पर) राज्य - आंध्रप्रदेश (तेलुगू भाषा)

राज्य पुनर्गठन आयोग : अध्यक्ष - फजल अली
1953 अन्य सदस्य - के. एम. पणिक्कर
प. हृदयनाथ कुंजरु

→ इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य की धारणा को खारिज कर दिया (भारत बहुभाषिएँ देश)

→ भाषायी आधार पर राज्यो के पुनर्गठन को स्वीकार किया। (linguistic basis)

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 → भाग A, B, C, D ×

7th संविधान संशोधन 1956, नये तरीके से राज्यो का निर्माण

PARMAR SSC

गोवा एवं दमन और दीव → 12 वां संविधान संशोधन → भारत का अभिन्न अंग (UT)
' पुर्तगालियो से मुक्त '

56 वां संविधान संशोधन 1987 → राज्य का दर्जा

आम	गुनाह		है	मैम		तुसी
	1963 नागालैण्ड		1966 हिमांचल			1972 त्रिपुरा
आंध्रप्रदेश Nov. 1956	महाराष्ट्र - गुजरात 1960	हरियाणा 1966		मेघालय	मणिपुर 1972	सिक्किम 1975

गाओ	और	मौज	ली
गोवा 1987	अरूणांचल 1987	मिजोरम 1987	

सिक्किम → चौग्याल वंश का शासन

सहयोगी राज्य → 35 वां संविधान संशोधन 1974
अनुच्छेद 2(A)

पूर्ण राज्य का दर्जा → 36 वां संविधान संशोधन 1975

अनुच्छेद 371 → कुछ राज्यो को विशिष्ठ शक्ति / विशेष प्रावधान

371 → महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष प्रावधान
N 371 - A → नागालैण्ड के लिए विशेष प्रावधान
A 371 - B → असम " " " "
M 371 - C → मणिपुर " " " "
A 371 - D → आंध्रप्रदेश & तेलंगाना " "
A 371 - E → आंध्रप्रदेश मे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
S 371 - F → सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान
M 371 - G → मिजोरम " " " "

PARMAR SSC

A 371-H → अरुणांचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान

G 371-I → गोवा " " " "

K 371-J → कनटिक " " " "

- किस वर्ष में आंध्रप्रदेश राज्य के पुर्नगिठन के बाद तेलगाना भारत का 29 वां राज्य बन गया - 2014
- 'सात बहनो' के राज्य → अरुणांचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा
- उस नेता के बारे में बतायें जिसने हैदराबाद राज्य के विघटन का विरोध नही किया और राज्य पुनर्गठन समिति में उसका प्रतिनिधित्व किया - कोट्टरु सीतेयगुप्त

"नागरिकता"

भाग-2 : अनुच्छेद 5-11

एकल नागरिकता → ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।

[USA- दोहरी नागरिकता का प्रावधान]

नागरिकता

अनु० 5-8

26 जनवरी 1950 के पहले कोई भारत का नागरिक है या नही।

अनु० 9-11

26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम - 1955

PARMAR SSC

अनुच्छेद 5 : संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता।

शर्तें :

1. वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो।
2. उसके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो।
3. संविधान के लागू होने के कम-से-कम 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो।

अनुच्छेद 6 : पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता।

अनुच्छेद 7 : भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आने वालों के लिए नागरिकता।

अनुच्छेद 8 : वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था।

अनुच्छेद 9 : किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की स्वतः समाप्ति।

अनुच्छेद 10 : नागरिकता अधिकारों की निरंतरता।

अनुच्छेद 11 : नागरिकता में कोई भी नया नियम/विधि/कानून अथवा संशोधन केवल संसद कर सकती है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955

नागरिकता प्राप्ति
- जन्म से
- वंशक्रम से
- पंजीकरण से - Origin - India (✓)

नागरिकता समाप्ति
- स्वतः त्याग की घोषणा
- वंचित किया जाना
- पर्यवसान

PARMAR SSC

देशीकरण से {origin - भारत} ×
भारत मे सम्मिलित होना

- पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों तक भारत मे रहना होगा।
- देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भारत मे रहना होगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA)

↳ 3 देशो - अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश

6 समुदाय - हिन्दू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई & जैन

इन देशो से आने वाले लोगो को 12 वर्ष के बजाय 6 वर्ष ही भारत मे रहना पड़ेगा।

PARMAR SSC